



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2011/वैशाख 19, 1933

No. 240]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2011/VAISAKHA 19, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

सा.का.नि. 368(अ).—केंद्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 की उप-धारा (1), (2), (5) तथा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा कम्पनी विनियम, 1956 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन विनियमों को कम्पनी (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विनियम, 1956 (इसके बाद से उक्त विनियम के रूप में संदर्भित), के भाग ख में विनियम 3, 5, 7, 9 एवं 14 में "प्रादेशिक निदेशक" शब्द के स्थान पर "कम्पनी पंजीयक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त विनियम में भाग च के पश्चात् अनुलग्नक-III एवं अनुलग्नक-IV में "प्रादेशिक निदेशक" शब्द के स्थान पर "कम्पनी पंजीयक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त विनियम में विनियम 11, 12 एवं अनुलग्नक-II का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 5/7/2011-सीएल-V]

जे. एन. टिक्कु, संयुक्त निदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 432ख, दिनांक 18-2-1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे एवं इनमें अंतिम संशोधन संख्या सा.का.नि. 304(ड) दिनांक 6-4-2011 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2011

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (5) and (8) of Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Companies Regulations, 1956, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Companies (Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies Regulations, 1956 (herein after referred to as the said regulations), in Part B, in regulation 3, 5, 7, 9 and 14, for the word "Regional Director", the word "Registrar of Companies" shall be substituted.

3. In the said regulations, after Part F, in Annexure-III and Annexure-IV, for the word "Regional Director", the word "Registrar of Companies" shall be substituted.

4. In the said regulations, regulation 11, 12, & Annexure-II shall be omitted.

[F. No. 5/7/2011-CL. V]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Foot Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 432B dated 18-2-1956 and last amended vide No. G.S.R. 304(E) dated 6-4-2011.